

11.8.2025 पयावली पेशी में ली गई। तहसीलदार
हनुमानगढ के पयांक LR/2025/2975
दिनांक 11/8/25 द्वारा विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त हुआ जिले पर वकील वादी
को सुना गया। वाद पश्चात् मुताबिक
विभाजन वादीया की हद तक स्वीकार
कर डिली किया जाता है विल्लत
रूप के अलग से पची डिली जारी
है। पयावली नंबर से कम की पाकड़
दारिल कफ्लर की जाती है आदेश
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ